न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 36/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 08.04.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मलखान सिंह पुत्र मोहन सिंह वर्ष जाति राजपूत निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 15/2008 बउनवान मलखान सिंह बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल के आराजी खसरा सं0 445 रकबा 1.00 है0, खसरा सं0 1229 रकबा 1.00 है0 कुल रकबा 2.00 है किस्म गै0मु0 खाल पर अतिक्रमी मानकर उक्त भूमि से बेदखल कर 2400/– रूपये तावान एवं तीन माह (90 दिवस) की सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 26.02.2008 पारित किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2008 से खारिज की गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल ने निर्णय से पूर्व ना तो मौके पर कब्जे बाबत् कोई पुष्टि की ना ही पड़ौसी खेत वालों को कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिया गया। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानते हुए बिना अपीलार्थी को सुनवाई

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से पूर्व ही विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया था तथा उक्त दिवस से आज तक अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का, पटवार मण्डल बमोरीकलां तहसील मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 अनुसार कोई राजस्व राशि अपीलार्थी के विरूद्ध बकाया नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26.02.2008 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल एवं निर्णय दिनांक 31.03.2008 जिला कलक्टर, बारां निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय पारित किया गया है साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त दण्डादेश को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से पूर्व विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया था तथा उक्त दिवस से आज तक अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का, पटवार मण्डल बमोरीकलां तहसील मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 एवं दिनांक 12.03.2025 अनुसार कोई राजस्व राशि अपीलार्थी के विरूद्ध बकाया नहीं है एवं किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल के आराजी खसरा सं0 445 रकबा 1.00 है0, खसरा सं0 1229 रकबा 1.00 है0 कुल रकबा 2.00 है किस्म गै0मु0 खाल पर अतिक्रमी मानकर उक्त भूमि से बेदखल कर 2400/– रूपये तावान एवं तीन माह (90 दिवस) की सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 26.02.2008 पारित किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2008 से खारिज की गई। अपीलार्थी का प्रकरण में तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से पूर्व विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया था तथा उक्त दिवस से आज तक अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का, पटवार मण्डल बमोरीकलां तहसील मांगरोल की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 एवं दिनांक 12.03.2025

अनुसार कोई राजस्व राशि अपीलार्थी के विरूद्ध बकाया नहीं है एवं किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/49 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा पटवारी हल्का बमोरीकलां से ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा सं0 1229, 445 किता 2 रकबा 2.00 है0 के कब्जे एवं बकाया राशि के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट चाही जाने पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 पटवारी हल्का बमोरीकलां अनुसार मलखान सिहं पुत्र मोहन सिंह का खसरा सं0 1229 एवं 445 पर किसी प्रकार का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होना तथा मुताबिक ढाल–बांछ के कोई राजस्व राशि बकाया नहीं होना वर्णित किया गया है। साथ ही प्रकरण में न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पटवारी, पटवारी मण्डल बमोरीकलां रिपोर्ट दिनांक 12.03.25 से भी अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार कब्जा नहीं होना एवं कोई राशि बकाया नहीं होना अंकित किया गया है। चूंकि प्रकरण वर्ष 2008 का है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त प्रकरण के पश्चात् कोई नया प्रकरण बनना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 31.03.2008 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2008 से अपीलार्थी की तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा